

**कार्यालय : मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर**

क्रमांक : 1

दिनांक : 06.01.2024

**:- कार्यालय आदेश :-**

मैं, मांडवी राजवी, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, एतद्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक Gen-/XIX/Misc./ 2000/911/718, Dated 01/06/2001 की पालना में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 19(2) व 410(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित तिथि को **माह जनवरी, 2024 में** आवश्यक दांडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा 164 दंप्रस के बयान व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य अपने न्यायालय में **(कार्यालय समय प्रातः 10 से सायं 5 बजे के मध्य 11 ए.एम. से 1.30 पी.एम तक)** करने के लिए एवं उस रोज यदि कोई मृत्युकालिक कथन, धारा 52-क के तहत इन्चेन्ट्री हो, उस संबंध में कार्यवाही करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करती हूं।

**माह जनवरी, 2024 हेतु -**

1.	07.01.2024	श्रीमती उर्मी व्यास	महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 07, जोधपुर महानगर	9829601656
2.	13.01.2024	श्रीमती स्वाति चौधरी	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट) संख्या 08, जोधपुर महानगर	8386800148
	14.01.2024			
3.	21.01.2024	सुश्री दीपिका रामावत	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट) संख्या 09, जोधपुर महानगर	8094880993
	26.01.2024			
4.	27.01.2024	सुश्री सुमन चौधरी	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट) संख्या 05, जोधपुर महानगर	9461449999
	28.01.2024			

नोट : उक्त कार्य के अलावा अन्य आवश्यक कार्य हेतु निम्न अधिकारी मुख्यालय पर रहेंगे -

1.	07.01.2024	श्री रमेश	अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 1, जोधपुर महानगर	9413534780
	21.01.2024			
2.	13.01.2024	डॉ. पवन कुमार बिश्नोई	अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीबीआई), जोधपुर महानगर	9413372233
	14.01.2024			
3.	26.01.2024	श्री भंवर सिंह	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 3, जोधपुर महानगर	9829427853
4.	27.01.2024	श्रीमती ज्योत्सना मीणा	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (पीसीपीएनडीटी), जोधपुर महानगर	8290595500
	28.01.2024			

रिमाण्ड प्राधिकृत किये जाने के दौरान रिमाण्ड में अभिवृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार दाण्डिक कार्य रिमाण्ड आदि के लिए प्राधिकृत किये गए महानगर मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि को प्राधिकृत करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा वारंट में स्पष्ट रूप से उक्त न्यायालय का नाम अंकित करें, जिस न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि हेतु मुल्जिम को पेश किया जाना है। जमानत प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करते समय जमानत आदेश में यह आवश्यक रूप से अलग से पैराग्राफ बनाकर लिखा जावे कि वह किस न्यायालय से संबंधित है तथा किस पुलिस थाने से संबंधित है।

नोट :

(ए) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात से आरंभ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

(बी) अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। निर्धारित समय में अवकाश न्यायालय के समक्ष न्यायालय में पेश न करने एवं निवास पर मुल्जिम को पेश करने पर थानाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही जावेगी। विशेष परिस्थितियों में मुल्जिम को निवास पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे व संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी। संबंधित न्यायालय का स्टॉफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।